अति महत्वपूर्ण

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वनसंरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

निदेशक / वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर (चमोली)।

प्रधानमंत्री
दि० 31.08.17

विषयः चमोली के अन्तर्गत बुगीधार–मेहलचौरी–बछवावाण मोटर मार्ग के कि0मी0 256 है0 से स्यूणी तल्ली तक मोटर मार्ग का निर्माण। **FP/UK/ROAD/10762/2015**

महोदय,

भारत सरकार के सन्दर्भित आपत्ति के अनुपालन में आनलाईन उपलब्ध करायी गई सूचना चाही गई सूचना के अनुरूप नही है। आप के द्वारा आनलाईन उपलब्ध करायी गई सूचना Form A के Part I तथा Part II में यथास्थान अपलोड़ नही की गई है। अतः भारत सरकार द्वारा चाहे गये बिन्दुओं की सूचना Part I एंव Part II में यथास्थान अपलोड करने के साथ मय बिन्दुवार आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना संलग्न कर प्रेषित है।

क्र.
22/9/17

1- In reply to point No-1 of EDS dated 24-05-2016 and point No-9 of EDS dated 18-05-2016, it is mentioned that an estimate of Rs. 35.00lacs has been prepared to stop soil erosion but, the details of mitigative measure to be implemented has not been submitted/ attached with the reply.

2- In reply to point No-1 of EDS dated 24-05-2016 & point N0-10 of EDS dated 18-05-2016, it is mentioned that the land required for the road is Civil land panchayat land and the affect of Leopard etc is negligible in the area Construction of road will have any special impact. But, it is seen from para-2 of online Part II that 2.38ha of Reserve Forest land is also involved in the proposal which is contradictory to the reply given above.

3- The reply of point No-2 of EDS dated 24-05-2016.has not been submitted by the State Govt. wherein it was informed that the DSS analysis of thearea proposed for CA revealed that 1.00ha area is falling in very dense forest which is not considered suitable for CA. State Govt. was asked to change the 1.00ha area proposed for CA in some other suitable area.

पत्रांक 1116 /12-1 दि० 23/09/2017
प्रतिलिपि उप वन संरक्षक केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग को प्रेषित। प्रकरण पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए, आख्या नोडल अधिकारी एवं इस कार्यालय को प्रेषित करें।

प्रेषित

प्रशासनिक अधिकारी
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व
गोपेश्वर